राजस्थान सरकार

...य संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
...यपुर खण्ड, अकादमिक भवन तृतीय तल दुर्गापुरा
जयपुर दूरभाष एवं फैक्स सं.0141–2722316
पिन–302018

Office Joint Director Agriculture(Ext.) Jaipur Division,
Academic, Bhawan, IIIrd Floor, Durgapura, Jaipur
Office Ph. & Fax No 0141-2722316 PIN 302018

e-mail:- jdagr_jpr@rediffmail.com

क्रमांक– प्र. मू./एम.एण्ड.ई.किटस/2016–17/2138 दिनांक– 25-10-16

# निविदा सूचना

वर्ष 2016–17 हेतु संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड जयपुर अकादमिक भवन दुर्गापुरा द्वारा खण्ड में फसल कटाई प्रयोगों के सफल सम्पादन हेतु एम.एण्ड.ई. किट्स के क्रय करने हेतु सीमित निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | अनुमानित मात्रा | अनु. राशि | निविदा प्राप्ति दिनांक | समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एम.एण्ड.ई. किट्स | 75 किट्स | 1.50 लाख | 07.11.16 | दोपहर 3:00 बजे तक |

प्रत्येक किट् में निम्न सामग्री होगीः–

| |
|---|
| (i) एक सिंगल पेन बैलेन्स (5 कि.ग्रा. क्षमता) |
| (ii) एक फीता (**Measuring tape**) लम्बाई 30 मीटर |
| (iii) एक 8.0 **mm** व्यास की 30 मीटर लम्बाई की जूट की रस्सी |
| (iv) चार लोहे की खूटिया 8 **mm** व्यास 1 मीटर लम्बाई एक सीरा नुकीला |
| (v) एक केनवास बैग 2×2×1 फीट आकार का जिसके बंद करने हेतु जिप एवं पकडने हेतु हेण्डल |

सामान्य शर्तेः–

1. आईटम संख्या (i) व (ii) विधि माप विज्ञान, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार अनुमोदित होना चाहिए।
2. निविदाऐं सील बंद लिफाफे में जिस पर संबंधित निविदा का विवरण एवं निविदादाता का नाम व पता अंकित हो, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड जयपुर तृतीय तल, अकादमिक भवन दुर्गापुरा कमरा न. 304 में दिनांक 07.11.2016 को तीन बजे तक पहुच जानी चाहिए। निविदाऐं उसी दिन सायं 4 बजे खोली जावेंगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाए स्वीकार नहीं की जावेंगी।
4. उक्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड जयपुर को होगा।
5. निविदा में प्रति किट् दर अंकित करनी होगी।
6. दरों में करों के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
7. दरें एफ.ओ.आर. (FOR) कार्यालय होनी चाहिए।
8. दरों की वैधता 30 दिवस के लिये होगी।
9. आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
10. निविदा के सम्बंध में अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय से ली जा सकती है।
11. RTPP ACT/नियम एवं GF & AR के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

(जे.एस.संधु)
संयुक्त निदेशक कृषि(वि)
जयपुर खण्ड, जयपुर